कक्ष क्र.
11
गर्ल्स कामन रूम
SHUKLA COLLEGE
Department
GPS Map Camera
Seepat, Chhattisgarh, India
47xr+8pp, Seepat, Chhattisgarh 495006, India
Lat 22.148407° Long 82.291974°
01/02/2025 12:44 PM GMT +05:30
Google

वॉशरूम
छात्रा
GPS Map Camera
Google
Seepat, Chhattisgarh, India
47xr+8pp, Seepat, Chhattisgarh 495006, India
Lat 22.148362° Long 82.292048°
01/02/2025 12:46 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Seepat, Chhattisgarh, India
47xr+8pp, Seepat, Chhattisgarh 495006, India
Lat 22.147945° Long 82.292068°
01/02/2025 12:41 PM GMT +05:30
Google

वॉशरूम
छात्रा
GPS Map Camera
Seepat, Chhattisgarh, India
47xr+8pp, Seepat, Chhattisgarh 495006, India
Lat 22.148354° Long 82.292014°
01/02/2025 12:45 PM GMT +05:30
Google

Sanitary Napkin Vending Machine
HANSCO
GPS Map Camera
Seepat, Chhattisgarh, India
47xr+8pp, Seepat, Chhattisgarh 495006, India
Lat 22.147963° Long 82.292029°
01/02/2025 12:41 PM GMT +05:30
Google

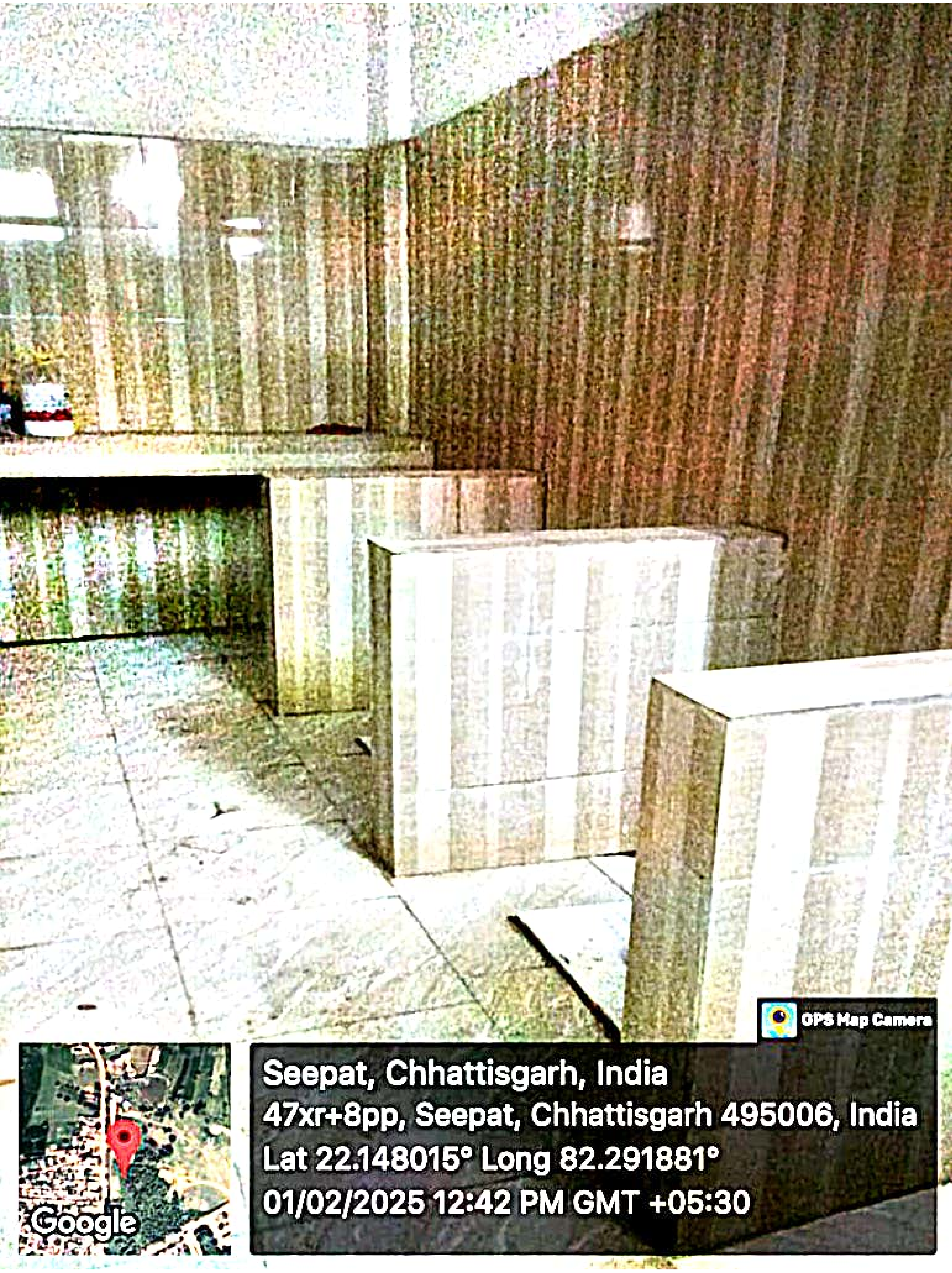
GPS Map Camera
Google
Seepat, Chhattisgarh, India
47xr+8pp, Seepat, Chhattisgarh 495006, India
Lat 22.148015° Long 82.291881°
01/02/2025 12:42 PM GMT +05:30

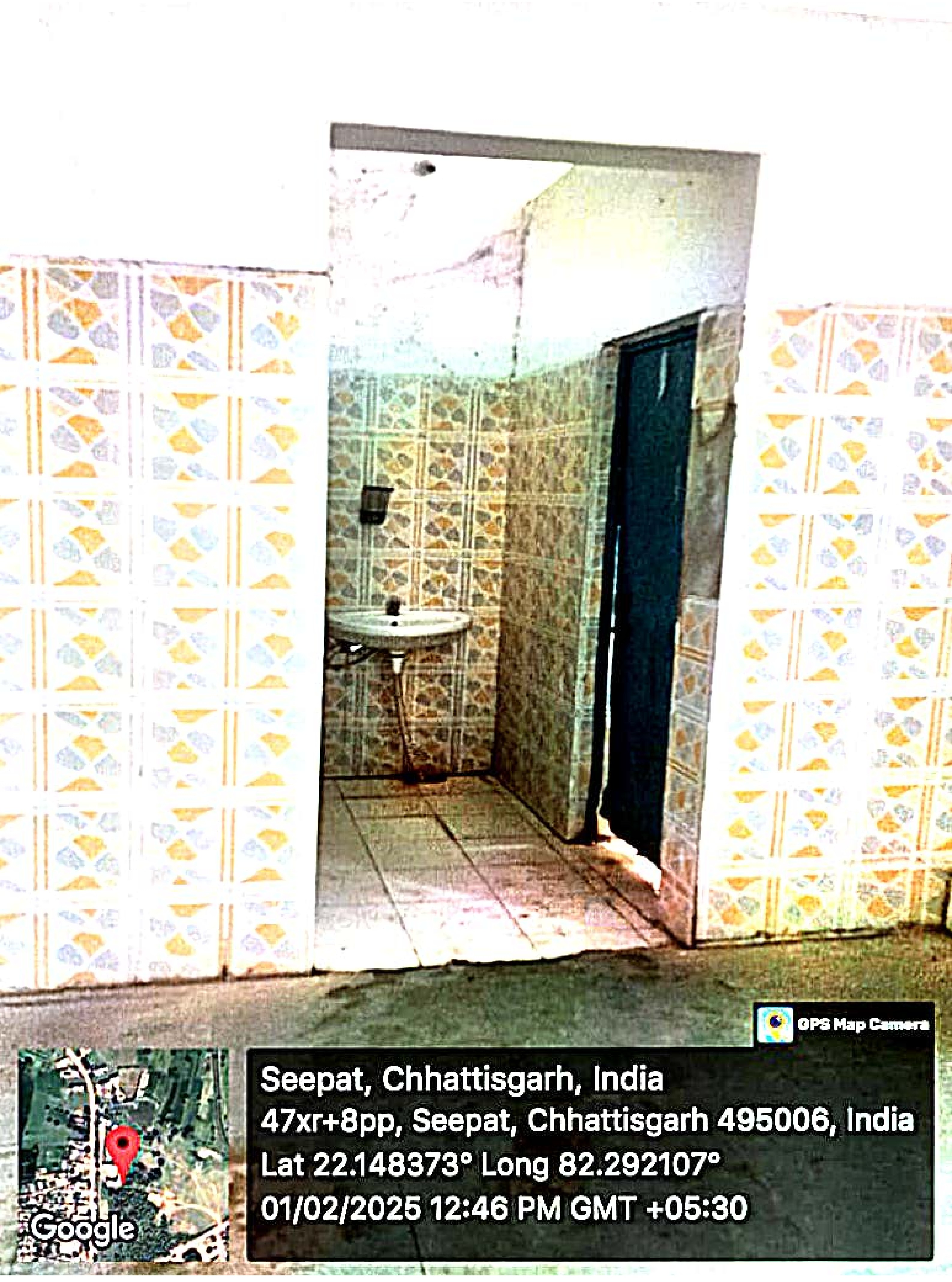
GPS Map Camera
Seepat, Chhattisgarh, India
47xr+8pp, Seepat, Chhattisgarh 495006, India
Lat 22.148373° Long 82.292107°
01/02/2025 12:46 PM GMT +05:30
Google

VEND IGO
Collect your product here
उत्पाद यहाँ से प्राप्त करें।
GPS Map Camera
Seepat, Chhattisgarh, India
47xr+8pp, Seepat, Chhattisgarh 495006, India
Lat 22.148331° Long 82.291984°
01/02/2025 12:45 PM GMT +05:30
Google

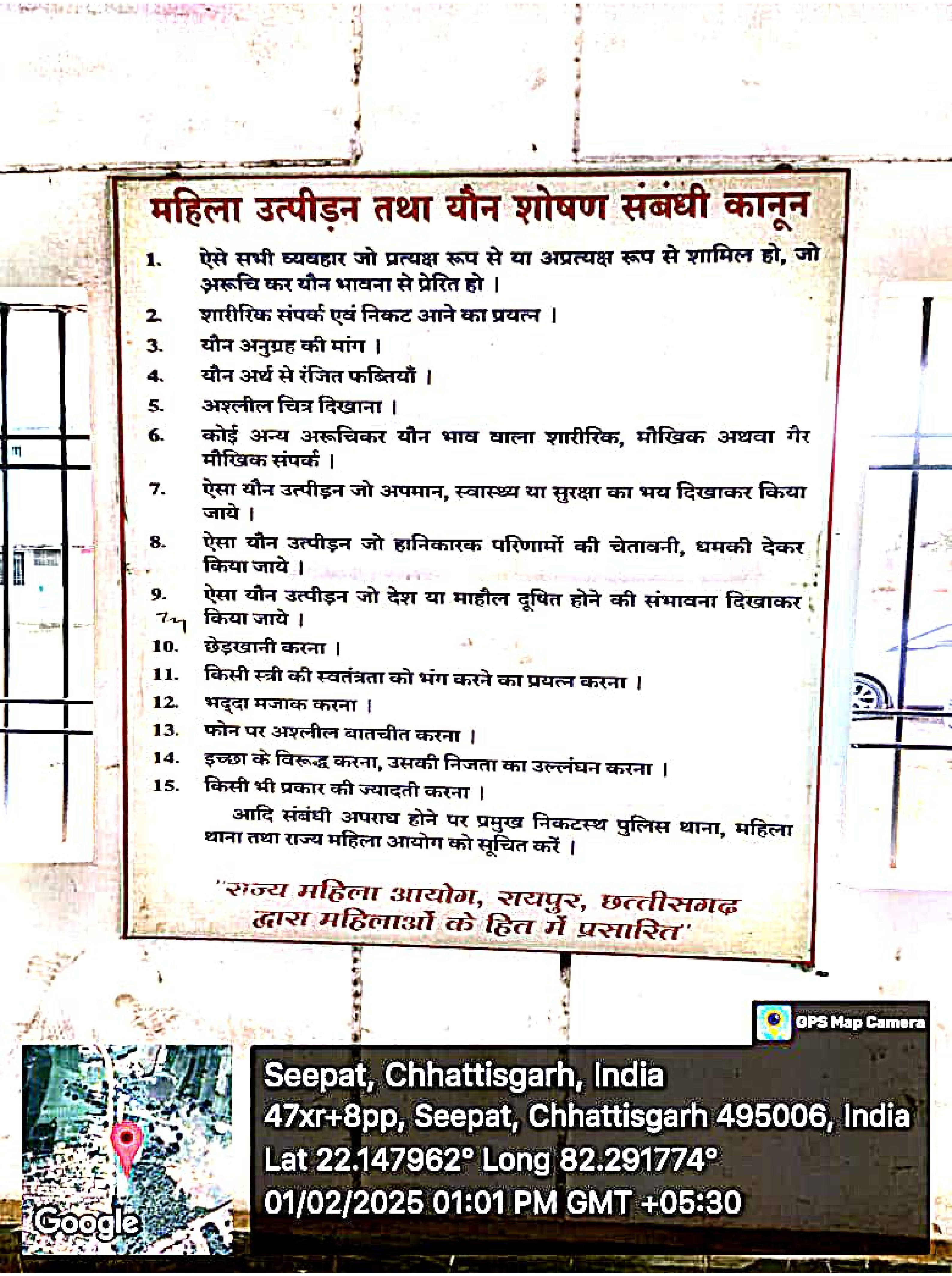
महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी कानून
1. ऐसे सभी व्यवहार जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो, जो अरूचि कर यौन भावना से प्रेरित हो ।
2. शारीरिक संपर्क एवं निकट आने का प्रयत्न ।
3. यौन अनुग्रह की मांग ।
4. यौन अर्थ से रंजित फब्तियाँ ।
5. अश्लील चित्र दिखाना ।
6. कोई अन्य अरूचिकर यौन भाव वाला शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक संपर्क ।
7. ऐसा यौन उत्पीड़न जो अपमान, स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जाये ।
8. ऐसा यौन उत्पीड़न जो हानिकारक परिणामों की चेतावनी, धमकी देकर किया जाये ।
9. ऐसा यौन उत्पीड़न जो देश या माहौल दूषित होने की संभावना दिखाकर किया जाये ।
10. छेड़खानी करना ।
11. किसी स्त्री की स्वतंत्रता को भंग करने का प्रयत्न करना ।
12. भद्दा मजाक करना ।
13. फोन पर अश्लील बातचीत करना ।
14. इच्छा के विरूद्ध करना, उसकी निजता का उल्लंघन करना ।
15. किसी भी प्रकार की ज्यादती करना ।
आदि संबंधी अपराध होने पर प्रमुख निकटस्थ पुलिस थाना, महिला थाना तथा राज्य महिला आयोग को सूचित करें ।
"राज्य महिला आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा महिलाओं के हित में प्रसारित"
GPS Map Camera
Google
Seepat, Chhattisgarh, India
47xr+8pp, Seepat, Chhattisgarh 495006, India
Lat 22.147962° Long 82.291774°
01/02/2025 01:01 PM GMT +05:30

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यादेश 2009 की कंडिका 3 के अनुसार

रैगिंग के अंतर्गत आने वाले कृत्य निम्नलिखित है :-

- किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा किया गया ऐसा कृत्य जिसमें बोले गये शब्द या किया गया काम जिसके द्वारा चिढ़ाना या रूखाई से पेश आना प्रतीत होता है ।
- विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा किया गया असत्य या अनुशासनहीन कृत्य जिसमें नये विद्यार्थी को क्रोध आए, किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक पीड़ा या डर उत्पन्न हो ।
- ऐसा कोई कार्य जो कि शर्मनाक हो जिससे नये विद्यार्थी को शर्मिन्दगी, मानसिक पीड़ा या मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न हो ।
- वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया ऐसा कोई भी कार्य जो नये विद्यार्थी की अकादमिक गतिविधि में अवरोध उत्पन्न करे ।
- किसी नवीन प्रवेशित छात्र या अन्य कोई छात्र का शोषण करके अपने या अपने समूह के लिये अकादमिक कार्य कराना ।
- किसी भी नये विद्यार्थी या अन्य किसी छात्र के ऊपर जबरदस्ती वित्तीय बोझ डालना ।
- शारीरिक पीड़ा देने का कोई भी कृत्य जैसे अश्लील गतिविधियां, इशारेबाजी या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य ।
- शब्दों द्वारा पीड़ा पहुंचाना, ई-मेल करना, डाक द्वारा, सार्वजनिक अपमान करना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर मानसिक संतोष प्राप्त करना इन सब कृत्यों में लिप्त होना या साथ देना ।
- ऐसा कोई भी काम जो नये विद्यार्थी के मानसिक, स्वास्थ्य या उसके आत्मविश्वास को प्रभावित करें ।

रैगिंग के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही :-

संस्था रैगिंग करने वाले विद्यार्थी को अपराधी पाये जाने पर निम्न प्रकार से सजा दे सकती है :-

- एंटी रैगिंग कमेटी सभी रैगिंग की घटनाओं के तथ्यों तथा उनकी गंभीरता को देखते हुये रैगिंग स्क्वाड द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर उचित निर्णय लेगी ।
- एंटी रैगिंग स्क्वाड द्वारा सिद्ध किये गये अपराध का प्रकार एवं गंभीरता देखते हुये एंटी रैगिंग कमेटी निम्नलिखित में से एक से अधिक सजा दे सकती है -
  - अकादमिक सुविधाओं एवं कक्षाओं में निलंबन ।
  - छात्रवृत्ति, फेलोशिप और दूसरे लाभों से वंचित करना ।
  - किसी भी परीक्षा आंतरिक एवं अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना ।
  - परिणाम रोकना ।
  - किसी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय उत्सव प्रतियोगिता या युवा उत्सव में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से रोकना ।
  - हॉस्टल से निलंबन या निष्कासन ।
  - प्रवेश निरस्त करना ।

GPS Map Camera

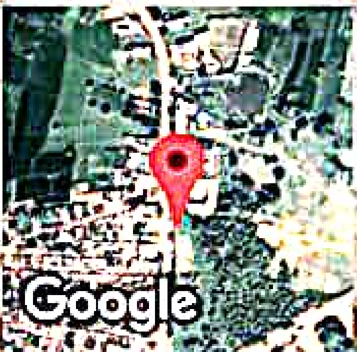

Sipat, Chhattisgarh, India
1 76, Sipat, Chhattisgarh 495006, India
Lat 22.148138° Long 82.291585°
01/02/2025 01:01 PM GMT +05:30